

# HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 33— HLA OF 2022

## THE FARIDABAD METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2022

A

**BILL**

*further to amend the Faridabad Metropolitan Development Authority Act, 2018.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Faridabad Metropolitan Development Authority (Amendment) Act, 2022. Short title.
  2. After clause (m) of section 5 of the Faridabad Metropolitan Development Authority Act, 2018 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:- Amendment of section 5 of Haryana Act 9 of 2019.

“(ma) Director, Town and Country Planning Department, ex-officio member;”.
  3. For sub-section (1) of section 9 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 9 of Haryana Act 9 of 2019.

“(1) The State Government shall, by notification, appoint an officer of the State Government not below the rank of Secretary as Chief Executive Officer.”.
-

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Chief Executive Officer of Faridabad Metropolitan Development Authority being administered by Department of Town and Country Planning have to report to its Administrative Secretary. It is observed by the Government that Faridabad Metropolitan Development Authority does not require an officer as high in hierarchy as that of a Principal Secretary to manage administrative affairs as done in Panchkula Metropolitan Development Authority Act 2021 (Haryana Act No. 23 of 2021). Therefore, sub-clause (1) of Section 9 of the Faridabad Metropolitan Development Authority Act 2018 (Haryana Act No. 9 of 2019) is proposed to substitute to appoint an officer of the State Government not below the rank of Secretary as Chief Executive Officer.

Further, name of 'Director, Town and Country Planning Department' as Ex-officio member in section 5 of (ma) of the Faridabad Metropolitan Development Authority Act, 2018 (Haryana Act No. 9 of 2019) after clause (m) is inserted to attend the meeting for regulating the function of the authorities.

Hence this Bill.

MANOHAR LAL,  
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :  
The 23rd December, 2022.

R.K. NANDAL,  
Secretary.

---

*N.B.—* The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 23rd December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

**ANNEXURE**

**Extract from the Faridabad Metropolitan Development Authority, Act 2018**

5. The Authority shall consist of the following members, namely:- Constitution of Authority.
- (a) to (m)xxxxxxxxxxxxxxxx
  - (ma) Director, Town & Country Planning Department, ex-officio member;
  - (n) to (r)xxxxxxxxxxxxxxxx
9. (1) The State Government shall, by notification, appoint an officer of Appointment, terms and condition etc. of Chief Executive Officer. the State Government, not below the rank of Principal Secretary, as Chief Executive Officer.
- \_\_\_\_\_



[ प्राधिकृत अनुवाद ]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या-33 एच०एल०ए०

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022, संक्षिप्त नाम। कहा जा सकता है।
2. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, 2019 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 5 का संशोधन। मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के खण्ड (ड) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-  
“(डक) निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, पदेन सदस्य;”।
3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा 2019 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 9 का संशोधन। प्रति स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-  
“(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी, जो सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।”।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नगर व ग्राम आयोजन के प्रशासकीय सचिव को प्रतिवेदन (रिपोर्ट) करना होता है। सरकार द्वारा यह देखा गया है कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए प्रधान सचिव के रूप में एक अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23) में पहले ही यह लागू हो चुका है। इसलिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9) की धारा 9 के उपखंड (1) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सचिव के पद से नीचे राज्य सरकार के अधिकारी की नियुक्ति न करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9) के अधिनियम के धारा 5 के खंड (ड) के बाद (ड क) में निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग को पदेन सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए शामिल किया जाये।

इसलिए यह विधेयक है।

मनोहर लाल,  
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक : 23 दिसम्बर, 2022

आर० के० नानंदल,  
सचिव।

**अवधेय:** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

**अनुबन्ध****फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2018 से उद्धरण**

5. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात:— प्राधिकरण का गठन।
- (क) से (ड) तक यथावत;
- (ड) निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, पदेन सदस्य;
- (ढ) से (द) तक यथावत;
9. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, निबन्धन तथा शर्तें इत्यादि। प्रधान सचिव की पदवी से नीचे का ना हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

